

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

डाकघर - आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड जबलपुर

पिन - 482 021 (म.प्र.)

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय)

विज्ञापन सं./TFRI/JBP/DR-1/2019

भर्ती अधिसूचना

महत्वपूर्ण दिनांक

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09.08.2019
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लाहौर और रिपति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला का पणजी उपप्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	23.08.2019

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.) निम्न पदों की भर्ती के लिये भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। इन पदों के लिये सफल घोषित अभ्यर्थी आई.सी.एफ.आर.ई एवं सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पद के अनुसार वेतन स्तर (pay level) एवं अन्य भत्तों के अनुसार नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जायेंगे।

क्रमांक	पद का नाम एवं सातवें वेतन मान में वेतन स्तर	पदों की संख्या	पदों का विभाजन						शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता
			अनारक्षित (UR)	EWS (UR)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जन जाति (ST)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL)	दिव्यांग (PWD)	
1.	तकनीकी सहायक वर्ग - II (फील्ड/लैब) (वेतन स्तर 5)	04	02	--	01	01	--	--	वनस्पति विज्ञान-प्राणी विज्ञान/ जीव विज्ञान/ वानिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि
2.	आशुलिपिक वर्ग - 2 (वेतन स्तर - 4)	02	02	--	--	--	--	--	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। 2. हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिये। प्रतिस्पर्धा परीक्षा संस्थान द्वारा आयोजित करायी जावेगी। 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में

									सर्टिफिकेट कोर्स, टंकण गति प्रति शब्द 5 key depression ,
3	अवर श्रेणी लिपिक (LDC) (वेतन स्तर - 2)	10 (एक पद एक्स - सर्विस मेन के लिये आरक्षि त)	05	--	01	02	02	--	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र। 2. टायपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में एवं टायपिंग गति 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में मेनुअल टाईपराइटर पर या टायपिंग गति कम्प्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में एवं 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में
4.	तकनीशियन (वेतन स्तर -2) इलेक्ट्रिकल प्लम्बर बटर्ड	03	01 01 01	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन एवं संबंधित विषय (Trade) मे ITI प्रमाण पत्र। या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट कोर्स
5.	वाहन चालक (सामान्य ग्रेड) (वेतन स्तर - 2)	02	01	--	--	--	01	--	आवश्यक योग्यता 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन। 2. वैद्य ड्रायविंग लाईसेंस (मोटर कार हेतु)। 3. मोटर कार चालन का तीन वर्ष या अधिक अनुभव। वांछित योग्यता 1. वाहन कार्य विधि एवं झुट-पुट रिपेरिंग का ज्ञान
6.	वन रक्षक (वेतन स्तर - 1)	02	02	--	--	--	--	--	आवश्यक योग्यता 1.मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं उत्तीर्ण। 2. अग्निशमन में प्रमाण पत्र वांछित योग्यता 1. होम गार्ड प्रशिक्षण

									2. संबंधित विषय (Trade) में अनुभव
7	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) (वेतन स्तर -1)	13 (1 पद दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.)* के लिये आरक्षित सिवाय व्ही.एच.के लिये)	08	01#	--	--	04	--	आवश्यक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से 10 वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। वांछित योग्यता 03 वर्ष या उससे अधिक का संबंधित विषय में अनुभव।

संक्षिप्तकरण -

1	SC	अनुसूचित जाति
2	ST	अनुसूचित जन जाति
3	OBC-NCL	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर)
4	UR	अनारक्षित
5	दिव्यांग/PWD	दिव्यांगजन
6	OH	आर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड
7	VH	दृष्टि बाधित (विजुअली इम्पैयर्ड)

(*) 13 पदों में से प्रवीणता के आधार पर अनारक्षित / आरक्षित श्रेणी में से मल्टी टास्किंग स्टाफ का एक पद दिव्यांगजन (PWD) में आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (OH) श्रेणी के लिये आरक्षित है।

(#) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति प्रोविजनल होगी और इसके अधीन आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है और यदि सत्यापन पर पता चलता है कि ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित दावा फर्जी/गलत है तो सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा एवं बिना किसी पूर्वगृह के भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत आगे कार्यवाही हेतु भेजा जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय और सम्पत्ति प्रमाण पत्र को ही केवल ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित उम्मीदवार के दावों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

निदेशक, उ.व.अ.सं., जबलपुर को बिना किसी कारण बताए विज्ञापित किसी भी या सभी पदों को भरने या न भरने, पदों को घटाने या बढ़ाने का अधिकार होगा।

3. आयु सीमा

आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि **09/08/2019** को आवेदक ने निम्नानुसार न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा से अधिक न हो।

पद नाम	न्यूनतम आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर	अधिकतम आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर	ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट
तकनीशीयन	21 वर्ष	30 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> विभागीय अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट है। शासकीय कर्मचारियों को भारत सरकार के निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार छूट दी जायेगी। एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./दिव्यांग पी. डब्लू.डी./ पूर्व सैनिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट के लिये पात्र होंगे। एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमीलेयर) के लिये 03 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिये 10 वर्ष, दिव्यांगजन (पी.डब्लू.डी. - अ.पि.वर्ग) के लिये 13 वर्ष और दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.-एस.सी./एस.टी.) अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) - 03 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक (अ.पि.वर्ग) - 06 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक (अनु.जा./अनु.जन जाति)- 08 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व वर्तमान आयु से मिलेटरी में दी गयी सेवाओं को घटाकर आयु में छूट दी जाएगी। अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यदि वह अनारक्षित पदों के लिये आवेदन करते हैं तो आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी। (भारत सरकार के आदेश क्रमांक 36011/1/98/Estt.(Res) दिनांक 01.07.1998
आशुलिपिक वर्ग - 2	18 वर्ष	27 वर्ष	
अवर श्रेणी लिपिक	18 वर्ष	27 वर्ष	
तकनीशियन	18 वर्ष	30 वर्ष	
वाहन चालक (सामान्य ग्रेड)	18 वर्ष	27 वर्ष	
वन रक्षक	18 वर्ष	27 वर्ष	
मल्टी टास्किंग स्टाफ	18 वर्ष	27 वर्ष	

ओ.बी.सी. अभ्यर्थी जिनकी जाति केन्द्र की सूची में नहीं है (सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर उपलब्ध) और वह अभ्यर्थी जो कि अ.पि.व.- नॉन कीमीलेयर (एस.सी.एस.) वर्ग के अन्तर्गत नहीं है, उन अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार

ओ.बी.सी. श्रेणी के वह अभ्यर्थी जो कि ओ.बी.सी. नॉन क्रीमीलेयर में है वह अपनी जाति “सामान्य” दर्शावेंगे।

4. आवेदन शुल्क -

1. अनारक्षित, ई.डब्ल्यू.एस. और ओ.बी.सी. श्रेणियों से संबंधित पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क ₹.500/- (पाँच सौ रुपये केवल) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में “Director, TFRI, Jabalpur” के पक्ष में देय, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. एस.सी./एस.टी. /दिव्यांग/ पी.डब्ल्यू.डी./महिला/भूतपूर्व सैनिकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
3. निर्धारित शुल्क के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा और इसे खारिज कर दिया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा किया गया शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जावेगा।

क्रमांक	अभ्यर्थी की श्रेणी	आवेदन शुल्क
1	अनारक्षित (UR)/ई.डब्ल्यू.एस.	₹.500/-
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL)	₹.500/-
3	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जन जाति (ST)/दिव्यांग, महिला, एस-सर्विस मेन	निरंक (NIL)

5. लिखित परीक्षा के लिये केन्द्र -

लिखित परीक्षा जबलपुर (म.प्र.) में आयोजित की जावेगी। केन्द्र का नाम प्रवेश पत्र (Admit Card) में दिया जावेगा। अभ्यर्थी को परीक्षा के लिये यात्रा भत्ता एवं रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। निदेशक उ.व.अ.सं., जबलपुर को बिना किसी कारण बताये परीक्षा केन्द्र को रद्द करने एवं बदलने का अधिकार होगा।

6. राष्ट्रीयता -

केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं।

7. परीक्षा की योजना -

एक प्रतियोगी लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक के लिये टायपिंग प्रवीणता / कौशल परीक्षा, वाहन चालक हेतु वाहन चालन परीक्षण, वन रक्षक के लिये शारीरिक मानक परीक्षण, तकनीशियन के पद के लिये संबंधित विषय का ड्रैड टेस्ट आयोजित किया जायेगा। लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थियों को उक्त प्रवीणता / कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

लिखित परीक्षा - लिखित परीक्षा का आयोजन ओ. एम. आर. के माध्यम से सभी पदों के लिए एक ही दिनांक अथवा अलग-अलग दिनांक पर किया जाएगा। प्रश्न पत्र (द्वि-भाषी अंग्रेजी एवं हिन्दी में) में बहु विकल्पीय 100 प्रश्न होंगे, जो कि अधिकतम 400 अंकों के होंगे। विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है -

पद	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	परीक्षा की अवधि	अंकन/नकारात्मक अंकन
तकनीकी सहायक	बहुविकल्पीय	100	400	3 घंटे	प्रत्येक प्रश्न 04 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 04 अंक दिये जायेंगे जबकि गलत उत्तर देने पर 01 अंक काट लिया जाएगा।
आशुलिपिक वर्ग - II	बहुविकल्पीय	100	400	2 घंटे	
अवर श्रेणी लिपिक	बहुविकल्पीय	100	400	2 घंटे	
तकनीशियन	बहुविकल्पीय	100	400	3 घंटे	
वाहन चालक (सामान्य ग्रेड)	बहुविकल्पीय	100	400	2 घंटे	
वन रक्षक	बहुविकल्पीय	100	400	2 घंटे	
मल्टी टास्किंग स्टाफ	बहुविकल्पीय	100	400	2 घंटे	

लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण (पास) करने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक -

अभ्यर्थी उम्मीदवार की श्रेणी	पास / उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अंक
सामान्य (UR) / सामान्य (EWS)	50%
ओ.बी.सी. (NCL)	45%
एस.सी./एस.टी./दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक	40%

लिखित परीक्षा का दिनांक एवं समय -

संस्थान की वेबसाइट <http://tfri.icfre.gov.in> पर बाद में सूचित किया जावेगा।

कौशल/प्रवीणता परीक्षा - आशुलिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, वाहन चालक, फॉरेस्ट गार्ड और तकनीशियन के पद के लिये लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को उनकी लिखित परीक्षा की प्रवीणता के आधार पर कौशल/शारीरिक परीक्षण हेतु 1:5 अनुपात में बुलाया जावेगा।

आशुलिपिक ग्रेड - II (Stenographer grade - II)

स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति (हिन्दी / अंग्रेजी)। कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिये टायपिंग स्पीड 5 key depression.

अवर श्रेणी लिपिक (LDC)

अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट टायपिंग की गति मैनुअल टायपराईटर पर। अथवा

अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टायपिंग की गति कम्प्यूटर पर

वाहन चालक (Driver) सामान्य ग्रेड

वाहन चालन परीक्षण एवं मोटर (वाहन) कार्यविधि, छुट-पुट रिपेयरिंग, यातायात के नियम एवं सिग्नल का ज्ञान।

वन रक्षक -

विवरण	पुरुष अभ्यर्थियों के लिये	महिला अभ्यर्थियों के लिये
पैदल चाल	04 घंटे में 25 किलो मीटर	04 घंटे में 14 किलो मीटर
ऊंचाई	न्यूनतम 165 से.मी.	न्यूनतम 150 से.मी.
छाती (बिना विस्तार)	79 से.मी.	74 से.मी.
छाती (विस्तार के साथ)	84 से.मी.	79 से.मी.

तकनीशियन -

संबंधित विषय (Relevant trade) में परीक्षण (इलेक्ट्रिकल/बढ़ई/प्लंबर)

8. चयन प्रक्रिया -

- i. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम निर्धारित अर्हता अंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जावेगा। प्रवीणता सूची पर संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और संस्थान इस संबंध में कोई “पत्राचार” नहीं करेगा। टायपिंग प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, वाहन चालन परीक्षण, संबंधित पदों के लिये ट्रेड परीक्षा को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा (जहां भी अंकन हो)। यदि उम्मीदवार कौशल /प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, हालांकि वह लिखित परीक्षा में मेरिट में था तो उक्त स्थिति में भी अभ्यर्थी का चयन उस पद के लिये नहीं किया जाएगा।
- ii. कौशल/प्रवीणता परीक्षण परीक्षा अथवा चयन हेतु सूचीबद्ध हो गये अभ्यर्थियों को आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांग, ई.डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र आदि कौशल परीक्षण/नियुक्ति के समय प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ स्वप्रमाणित फोटो कापी सत्यापन हेतु लाना होगा।

यदि प्रमाण पत्र स्थानीय भाषा में हो तो इसका अनुवाद नोटरी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होना चाहिये।

सभी पात्रता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जारी होने चाहिये।

iii. टाइब्रेकर के नियम -

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में बराबर अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों की प्रवीणता सूची निम्नलिखित टाइब्रेकर नियमों को लागू करके निर्धारित की जावेगी, जब तक टाई हल (solve) नहीं हो जाती -

- i. जन्म तिथि के आधार पर उम्र में अधिक अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- ii. वर्ण माला क्रम में वरीयता अनुसार अभ्यर्थी का नाम रखा जाएगा।

iv. अन्य निर्देश -

- a- प्रश्न पत्र द्वि-भाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा) में होगा। किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी प्रश्न के संस्करण को ही सही एवं अंतिम माना जावेगा।
 - b- किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिये एक सहायक (scribe) की मदद की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - c- उत्तर स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उत्तर स्क्रिप्ट के पुनः मूल्यांकन के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।
 - d- लिखित परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को एक मूल (original) फोटो पहचान पत्र साथ में लाना आवश्यक है। जैसे - पैन कार्ड, वोटर आई.डी., आधार कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, फोटो के साथ बैंक पास बुक, हाल ही में किसी वैध मान्यता प्राप्त कॉलेज / विश्वविद्यालय, कर्मचारी आई.डी. द्वारा जारी पहचान पत्र।
 - e- लिखित परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को अन्दर ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास मोबाईल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है तो उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
 - f- यदि परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
 - g- ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।
 - h- सभी उम्मीदवार चाहे सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले संगठनों में, उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।
 - i- केवल आवेदन करने अथवा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने मात्र से चयन सुनिश्चित नहीं होता है। यदि बाद में प्रमाणीकरण के दौरान यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता नहीं रखता है या उसने गलत जानकारी दी है अथवा तथ्यों को छुपाकर गुमराह किया है तो उसकी पात्रता/चयन को निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवेदन शुल्क को राजसात कर लिया जाएगा या कोई अन्य दण्ड दिया जाएगा जो परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
9. पदस्थापना (पोस्टिंग) का स्थान - विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उ.व.अ.सं., जबलपुर अथवा इसके केंद्र एफ.आर.सी. - एस.डी. , छिन्दवाड़ा में नियुक्त किया जायेगा। हालांकि सभी पद भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत भारत वर्ष में स्थापित संस्थानों /केंद्रों की सेवा के लिये दायित्व वहन करते हैं।

10. सामान्य निर्देश -

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र से लिखित परीक्षा हेतु बुलाये जाने के लिये उम्मीदवार के पास कोई अधिकार नहीं होगा।
2. पात्र अभ्यर्थी जो सभी शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। इस प्रकार लघु सूचीकरण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिनांक, समय एवं परीक्षा स्थल की जानकारी अलग से भेजी जायेगी। इस विषय में निदेशक उ.व.अ.सं., जबलपुर का निर्णय अंतिम होगा, और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी की ओर से राजनीतिक या बाहरी हस्तक्षेप अथवा किसी भी तरह का प्रचार चयन/भर्ती के संबंध में उसकी अयोग्यता होगी।
4. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिये आवेदन करना चाहता है तो उसे आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि आदि अलग से जमा करना होगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन एक ही आवेदन पत्र में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. लिफाफे के उपर “..... पद के लिये आवेदन पत्र” लिखा जाना चाहिये। जिस लिफाफे के उपर पद का नाम नहीं लिखा जावेगा वह आगे जांच के लिये नहीं चुना जावेगा।
6. सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त पदों के लिये अपने आवेदन को उचित माध्यम और नियुक्तकर्ता अधिकारी के **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)** के साथ भेजना चाहिये। आवेदक चाहे तो आवेदन की अग्रिम प्रति नियत तिथि तक भेज सकते हैं। अग्रेषण प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चयन की स्थिति में निश्चित समय के अन्दर चयनित कर्मचारी को कार्य मुक्त किया जायगा।
7. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी, अनुभव आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित फोटो कापी प्रमाण पत्र के साथ जमा करना चाहिये। यदि स्थानीय भाषा में कोई प्रमाण पत्र है तो उसका हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
8. आवेदन पत्र पर एक फोटो चिपकाए जाने के अलावा **दो अतिरिक्त समान फोटो** को संलग्न करने के लिये आवेदन पत्र के पहले पृष्ठ पर विधिवत रूप से स्टेपल किया जाना चाहिये। अतिरिक्त फोटो के पीछे आवेदक का नाम एवं पद का नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये।
9. इच्छुक/पात्र उम्मीदवार अपने आवेदन “**निदेशक, उ.व.अ.सं., जबलपुर, डाकघर - आर.एफ. आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर पिन - 482 021 (म.प्र.)**” को आवेदन की **अंतिम तिथि दिनांक 09/08/2019** या उससे पूर्व भेज सकते हैं। दिनांक **09.08.2019** आयु सीमा निर्धारण के लिये भी महत्वपूर्ण तारीख है। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन अहस्ताक्षरित आवेदन, अपूर्ण आवेदन आदि पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायगा। डाक पार गमन के दौरान किसी भी देरी या नुकसान के लिये यह संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लाहौल और स्पीती जिले और पणजी, हिमाचल के चंबा जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लक्ष्य द्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिये आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **23/08/2019** है।

10. सीधी भर्ती द्वारा चयनित उम्मीदवारों के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना के प्रावधान लागू रहेंगे। नई पेंशन योजना दिनांक 01/01/2004 से प्रभावी है।
11. किसी भी प्रकार का पत्राचार या अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. विज्ञापित पद अस्थायी है लेकिन इनके जारी रहने की संभावना है। विज्ञापन में उल्लेखित पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
13. निदेशक, उ.व.अ.स., जबलपुर बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी विज्ञापित पदों को भरने या नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
14. कानूनी विवाद यदि कोई हो तो सक्षम न्यायालय जबलपुर म.प्र. क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
15. अभ्यर्थी ध्यान दें, यदि लिखित परीक्षा से पूर्व अथवा बाद में किसी भी समय उसकी अयोग्यता का पता लगता है कि विज्ञापन के तहत नियमों एवं अनुदेशों या बाद में किसी सूचना/दस्तावेज को समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। इस प्रकार के निरस्तीकरण हेतु यह संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
16. **अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र साधारण डाक द्वारा भेजे जाएंगे।** लिखित परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके रोल नंबर तथा प्रवेश पत्र की एक नमूना प्रति संस्थान की वेबसाइट (<http://tfri.icfre.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी। वह अभ्यर्थी जिन्हे डाक द्वारा प्रवेश पत्र प्राप्त न हो और उनका नाम, रोल नं. वेबसाइट पर दर्शित सूची में हो, प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर उसमें अपना नाम, रोल नं., आवेदित पद, परीक्षा केन्द्र आदि का नाम लिख कर एवं एक फोटो लगाकर परीक्षा केन्द्र पर लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।
17. भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोटिस संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित होंगे। अपडेट के लिये उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
18. आयु गणना के लिये महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी अर्थात् **09/07/2019**.
19. प्रवीणता पर आधारित सुरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्लू.एस. भी अनारक्षित रिक्तियों पर विचार करने के लिये पात्र है, यदि उनके द्वारा आयु में कोई छूट न ली गई हो और लिखित परीक्षा में निर्धारित अर्हक अंक में कोई छूट न ली गई हो। यदि आयु में कोई रियायत और निर्धारित अर्हक अंको में छूट का लाभ उठाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिये ही पात्र होंगे।
20. आरक्षण / छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले की वे एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./ई.डब्लू.एस./दिव्यांग नियमों / सूचना में निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण छूट के हकदार है।

21. यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई. डब्लू.एस./दिव्यांग संबंधित अभ्यर्थी के दावे को गलत पाया गया तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान/भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद उन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर उनकी उम्मीद्वारी को रद्द कर देगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
22. नाम या पिता के नाम में (वर्तनी या उपनाम आदि) विसंगति होने पर उम्मीद्वार को एक मूल हल्फनामा (ऐफिडेविट) आवेदन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो विसंगति एवं अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ सही “नाम” को प्रमाणित करता हो।
23. एक उम्मीद्वार को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिये। अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में यदि मानसिक अथवा शारीरिक रूप से कोई व्यवधान पाये जाने पर यदि आवश्यक हुआ तो उ.व.अ.सं., जबलपुर मेडिकल चिकित्सा परीक्षण के लिये लिख सकता है।

24. कोई व्यक्ति -

1. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो।

या

2. जिसका जीवन साथी जीवित हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिये अनुबंध किया है सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा,

बशर्ते उ.व.अ.सं., जबलपुर अगर संतुष्ट हो कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमन्य और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

25. कोई अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा प्रतिकर्षण (Impersonation) का दोषी है या घोषित किया गया है या फर्जी दस्तावेज जमा करना या दस्तावेजों के साथ छेड़-छाड़ की हो या ऐसे बयान जो गलत या भ्रौतिक जानकारी को छिपाने वाले हैं या अन्यथा प्रवेश पाने के लिये किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का परीक्षा में सहारा लेना या अनुचित साधनों व दुर्यवहार का उपयोग परीक्षा हॉल में करने का प्रयास करना, अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन और संबंधित परीक्षा से अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होगा।

1. उन्हें स्थायी रूप से या एक विशेष अवधि के लिये उ.व.अ.सं., जबलपुर द्वारा रोजगार हेतु बहिष्कृत किया जाएगा।
2. यदि वह पहले से ही शासन/आई.सी.एफ.आर.ई. के तहत सेवा में है तो उपयुक्त नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
